# कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 16)

[26 मार्च, 2007]

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क
(विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

## अध्याय 2

## केन्द्रीय विक्रय कर

धारा 6 का संशोधन।

2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 6 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 1956 का 74

"(2) उपधारा (1) या उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी माल के विक्रय से या तो एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन हुआ है या ऐसा विक्रय एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल के संचलन के दौरान उस माल के हक दस्तावेजों के अंतरण द्वारा किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को ऐसे संचलन के दौरान, ऐसे माल के हक दस्तावेजों के अतंरण द्वारा किए गए किसी पश्चात्वर्ती विक्रय को, यदि माल धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वर्णन का है, इस अधिनियम के अधीन कर से छूट प्राप्त होगी:

परंतु ऐसा कोई भी पश्चात्वर्ती विक्रय इस उपधारा के अधीन कर से छूट प्राप्त तब तक नहीं होगा, जब तक विक्रय करने वाला व्यौहारी,—

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिससे माल क्रय किया गया था, सम्यक् रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित ऐसा प्रमाणपत्र, जो विहित प्राधिकारी से अभिप्रात विहित प्ररूप में हो और जिसमें विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों; और

(ख) यदि पश्चात्वर्ती विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को किया जाता है, तो धारा 8 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट घोषणा,

विहित प्राधिकारी को विहित रीति से और विहित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के लिए अनुज्ञात करे, न दे दे:

परंतु यह और कि माल के पश्चात्वर्ती विक्रय की बाबत पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट घोषणा देने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि,—

(क) ऐसे माल का विक्रय या क्रय समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणत: कर से छूट प्राप्त है या साधारणत: ऐसी दर पर जो तीन प्रतिशत से निम्नतर है या ऐसी कम दर पर जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाए, कर के (चाहे कर या फीस या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) अधीन रहते हुए है; और

(ख) ऐसा पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला व्यौहारी, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि ऐसा विक्रय उस स्वरूप का है जैसा इस उपधारा में निर्दिष्ट है।"।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2क) में "धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 8 की उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक व्यौहारी, जो अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उपधारा (3) में निर्दिष्ट वर्णन के माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय

करता है, इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी होगा, जो उसके आवर्त का तीन प्रतिशत होगा या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर पर इसमें से जो भी कम हो, होगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के अधीन कर की दर को कम कर सकेगी।

(2) किसी व्यौहारी द्वारा उसके आवर्त पर संदेय कर, जहां तक आवर्त या उसके किसी भाग का संबंध उपधारा (1) के अंतर्गत न आने वाले अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल के विक्रय से है, समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर पर होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यौहारी इस बात के होते हुए भी कि वह वस्तुत: उस विधि के अधीन इस प्रकार दायी नहीं हो सकेगा, समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी व्यौहारी समझा जाएगा।'';

(ख) उपधारा (3) के आरंभिक भाग में ''उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट माल'' शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,—

''उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल,—'';

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(4) उपधारा (1) के उपबंध अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी विक्रय को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी, उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे माल का विक्रय किया गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमे विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दे:

परंतु घोषणा विहित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के लिए अनुज्ञात करे, दे दी गई हो।'';

(घ) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) में ''या सरकार'' शब्दों तथा ''या उपधारा (2),'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (क) में ''धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क)'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर ''धारा 8 की उपधारा (4)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) में ''ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणा'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी घोषणा'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 10 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (क) में ''धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क)'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर ''धारा 8 की उपधारा (4)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। धारा 10क का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 14 के खंड (ix) को लोप किया जाएगा। धारा 14 का संशोधन।

## अध्याय 3

## अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क

धारा 4 का लोप।

9. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 4 का लोप किया जाएगा। 1957 का 58

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

10. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2401, 2402 और 2403 तथा उनके अधीन उपशीर्षों और टैरिफ मदों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

द्वितीय अनुसूची का लोप।

11. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का लोप किया जाएगा।

---

राष्ट्रपति ने दि टैक्सैशन लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Taxation Laws (Amendment) Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

**सचिव, भारत सरकार।**
*Secretary to the Government of India.*

MGIPMRND—2207olw—03.07.2007.